

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2023-भाद्र 31, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनायें

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम विजय गंधावलिया पिता दयाराम गंधावलिया था. जिसे परिवर्तित कर मेरा नाम विजय चौहान पिता दयाराम गंधावलिया हो गया है एवं वर्तमान में मेरे द्वारा इसी सही नाम विजय चौहान पिता दयाराम गंधावलिया का उपयोग सभी जगह किया जाता है एवं इसी नाम से जाना-पहचाना जावें.

भवदीय,

(विजय चौहान)

पिता-दयाराम गंधावलिया,

निवासी-98-के, पिपरी, तहसील बागली,

जिला देवास (म.प्र.).

(G-1818)

CHANGE OF NAME

Myself Aakarshit Manawa presently known as Ashish Manawa, having been ordained as a monk through Shri Anandpur Trust on date 10-02-2023, at the premises of Shri Anandpur Trust, I hereby solemnly declare to abandon the use of my former name so hereafter may be called, known and distinguished not by my former name Aakarshit Manawa, but by assigned name Ashish Manawa I request all persons in general, relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me as Ashish Manawa.

Old Name

(AAKARSHIT MANAWA)

(G-1819)

New Name

(ASHISH MANAWA).

CHANGE OF NAME

Myself Gagan deep presently known as Amar Dayal Anand, having been ordained as a monk through Shri Anandpur Trust on date 10-02-2023, at the premises of Shri Anandpur Trust, I hereby solemnly declare to abandon the use of my former name so hereafter may be called, known and distinguished not by my former name Gagan deep, but by assigned name Amar Dayal Anand request all persons in general, relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me as Amar Dayal Anand.

Old Name (GAGAN DEEP) (G-1820)	New Name (AMAR DAYAL ANAND).
---	--

CHANGE OF NAME

Myself Bharat Chhabra presently known as Vishudh Prakash Anand, having been ordained as a monk through Shri Anandpur Trust on date 10-02-2023, at the premises of Shri Anandpur Trust, I hereby solemnly declare to abandon the use of my former name so hereafter may be called, known and distinguished not by my former name Bharat Chhabra, but by assigned name Vishudh Prakash Anand request all persons in general, relatives and friends in particular, at all times hereafter to designate and address me as Vishudh Prakash Anand.

Old Name (BHARAT CHHABRA) (G-1821)	New Name (VISHUDH PRAKASH ANAND).
---	---

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स छत्रकम जो विजय लक्ष्मी, किरार भवन, गाँधी रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 02 / 42 / 01 / 0216 / 21, दिनांक 05-10-2021 है. जिसमें दिनांक 01-04-2023 को भागीदार श्री तन्मय पाठक पुत्र श्री अतुल पाठक, निवासी विजय लक्ष्मी, किरार भवन, गाँधी रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो गये हैं एवं इसी दिनांक 01-04-2023 को अतुल कुमार पाठक पुत्र श्री कृष्ण बिहारी लाल पाठक निवासी-विजय लक्ष्मी, किरार भवन, गाँधी रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश न्यू भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

(G-1822)	मैसर्स छत्रकम (दीप्ती पाठक) (भागीदार) पता-विजय लक्ष्मी, किरार भवन, गाँधी रोड, ग्वालियर (म.प्र.).
----------	---

नाम परिवर्तन

मैं, दिलीप शर्मा (DILEEP SHARMA) पुत्र बाबूलाल शर्मा सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का नाम सोनू शर्मा (SONU SHARMA) था. जो मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे दिलीप शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है. जो मेरे आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी बीमा पॉलिसी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सोनू शर्मा के स्थान पर दिलीप शर्मा लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम (सोनू शर्मा) (G-1823)	नया नाम (दिलीप शर्मा) पुत्र-बाबूलाल शर्मा, पता-शुक्ला डेरी के पास बुजुर्ग रोड, दुर्गेश कॉलोनी, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.).
---	--

नाम परिवर्तन

मैं, सावो कुशवाह पत्नी स्व. श्री तेज सिंह कुशवाह सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बालता नाम श्रीमती सोबा बाई कुशवाह था जो मेरे स्वर्गीय पति की बीमा पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मुझे सावो कुशवाह पत्नी स्व. श्री तेज सिंह कुशवाह के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाएगा. श्रीमती सोबा बाई कुशवाह एवं सावो कुशवाह दोनों मेरे ही नाम है. मेरे पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, इत्यादि में उनका नाम तेज सिंह कुशवाह लिखा है. अतः मेरे स्व. पति की बीमा पॉलिसी में उनका नाम तेज सिंह कुशवाह के स्थान पर तेज सिंह कुशवाह लिखा जाये एवं उनकी बीमा पॉलिसी के नामिनेशन (उत्तराधिकारी) में मेरा नाम श्रीमती सोबा बाई कुशवाह के स्थान पर सावो कुशवाह लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सोबा बाई कुशवाह)

नया नाम

(सावो कुशवाह)

पत्नी-स्व. श्री तेज सिंह कुशवाह,
पता-36, ग्राम बिनेगा, तहसील विजयपुर,
श्योपुर (म.प्र.).

(G-1824)

नाम परिवर्तन

मैं, दिनेश रावत पुत्र श्री सरबन सिंह रावत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा घर का नाम गणेश सिंह रावत है. जो मेरी बीमा पॉलिसियों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान एवं भविष्य में दिनेश रावत के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाऊंगा. मेरे शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम दिनेश रावत लिखा है. अतः मेरे बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम गणेश सिंह रावत के स्थान पर मेरा सही नाम दिनेश रावत लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(गणेश सिंह रावत)

नया नाम

(दिनेश रावत)

पुत्र-श्री सरबन सिंह रावत,
पता-487, ग्राम रघुनाथपुर,
श्योपुर (म.प्र.).

(G-1825)

नाम परिवर्तन

मैं, मारिया रौनक स्टेशनवाला पति आमीर स्टेशनवाला, निवासी बड़वानी, वर्तमान में मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में मेरा नाम त्रुटिवश "मारिया स्टेशनवाला" अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही वास्तविक एवं प्रचलित नाम "मारिया रौनक स्टेशनवाला" है.

अतः मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में मेरा पूर्व नाम "मारिया स्टेशनवाला" के स्थान पर प्रचलित नाम "मारिया रौनक स्टेशनवाला" के नाम से ही जानी एवं पहचानी जाए.

पुराना नाम

(मारिया स्टेशनवाला)

(Mariya Stationwala)

नया नाम

(मारिया रौनक स्टेशनवाला)

(Mariya Rounak Stationwala)

(G-1826)

नाम परिवर्तन

मैं, पवन पाटीदार पिता राधेश्याम पाटीदार, निवासी ग्राम कुण्डिया, वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में त्रुटिवश "आर्य पाटीदार" अंकित हो गया है, जबकि उसका सही, वास्तविक एवं प्रचलित नाम "आर्यन पाटीदार" है।

अतः मैं मेरे पुत्र के पूर्व नाम "आर्य पाटीदार" के स्थान पर नया नाम "आर्यन पाटीदार" अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचाना एवं पढ़ा जावेगा।

पुराना नाम

(आर्य पाटीदार)

(Aary Patidar)

(G-1827)

नया नाम

(आर्यन पाटीदार)

(Aryan Patidar)

उपनाम परिवर्तन

मैं, फारुक अली पुत्र श्री लियाकत अली, आयु वयस्क, निवासी-डी.-220, सुन्दर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.) मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम फ़ैजल अली दर्ज हो गया जो कि गलत है। जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका सही नाम उजेफ अली पुत्र फारुक अली दर्ज है जो कि सही है। इसलिए फ़ैजल अली के स्थान पर भविष्य में मेरे पुत्र को उजेफ अली पुत्र फारुक अली के नाम से जाना पहचाना दर्ज किया जाए।

पुराना नाम

(फ़ैजल अली)

(G-1828)

नया नाम

(उजेफ अली)

पुत्र-फारुक अली

नाम परिवर्तन

मैं, ब्रिजेश कुमार सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी 52 शीतल होम्स वार्ड-23, मण्डीदीप, जिला रायसेन, मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम ब्रिजेश कुमार राजपूत है जो कि गलत है, मेरा सही व सत्य नाम ब्रिजेश कुमार सिंह है, भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम

(ब्रिजेश कुमार राजपूत)

(G-1829)

नया नाम

(ब्रिजेश कुमार सिंह)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री अनिया के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरे नाम की स्पेलिंग Parwati Devi Chhetri दर्ज है, लेकिन मेरे नाम की सही स्पेलिंग Parvati Kshatrya है, भविष्य में मेरे नाम की सही स्पेलिंग Parvati Kshatrya ही लिखी जावें।

पुराना नाम

(PARWATI DEVI CHHETRI)

(G-1830)

नया नाम

(PARVATI KSHATRYA)

Add-120, Vijay Shri Nagar Extension,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री अनिया के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरे नाम की स्पेलिंग Shankar Singh Chhetri दर्ज है, लेकिन मेरे नाम की सही स्पेलिंग Shankar Singh Kshatrya है, भविष्य में मेरे नाम की सही स्पेलिंग Shankar Singh Kshatrya ही लिखी जाएं.

पुराना नाम

(SHANKAR SINGH CHHETRI)

(G-1831)

नया नाम

(SHANKAR SINGH KSHATRYA)

Add-120, Vijay Shri Nagar Extension,
Indore (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम लवन जैन पुत्री महेश कुमार जैन अंकित है. विवाह उपरांत मेरा नाम एकता जैन पत्नि श्री सचेन्द्र जैन है. जो कि मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है.

अतः मुझे मेरे नये नाम एकता जैन पत्नि श्री सचेन्द्र जैन के नाम से जाना, पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(लवन जैन)

(G-1832)

नया नाम

(एकता जैन)

पत्नी-श्री सचेन्द्र जैन,
पता- 752/A, New Ashoka Garden,
Bhopal (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित हो कि अयान पिता अब्दुल असलम खान (असलम खान), निवासी-168, शेरशाह सूरी नगर, खजराना, इन्दौर मध्यप्रदेश के पिता का पूरा नाम अब्दुल असलम खान पिता अब्दुल कुददुस खान है, जिन्हें असलम खान से भी जाना पहचाना जाता है तथा उनके व मेरे अन्य संबंधित दस्तावेजों में मेरा यही नाम लिखा है. दोनों नाम असलम खान व अब्दुल असलम खान एक ही व्यक्ति (मेरे पिता) के ही है। भविष्य में समस्त दस्तावेजों में अयान खान पिता अब्दुल असलम खान के नाम से पहचाना जावे.

पुराना नाम

(अयान खान)

पिता-असलम खान.

(G-1833)

नया नाम

(अयान खान)

पिता अब्दुल असलम खान.

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरा पूर्व नाम हुकमचंद जैन पिता श्री भेरूलाल कोठारी (Shri Hukamchand Jain) (पुराना नाम) जो कि मेरे कई कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज है, अब मैं अपने सभी दस्तावेजों पर अपना वास्तविक नाम (Hukamchand Kothari) पिता श्री भेरूलाल कोठारी दर्ज करवाना चाहता हूँ, उपरोक्त दोनों नाम हुकमचंद जैन व हुकमचंद कोठारी पिता श्री भेरूलाल कोठारी एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे है.

अतः भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे नये नाम हुकमचंद कोठारी पिता श्री भेरूलाल कोठारी के नाम से जाना पहचाना, लिखा पढ़ा एवं बोला जावे।

पुराना नाम
(हुकमचंद जैन)

नया नाम
(हुकमचंद कोठारी)
पिता—श्री भेरूलाल कोठारी.

(G-1834)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मीराबाई पत्नी श्री विजय कुमार मालवीय, निवासी मकान नंबर-131, कैलाश नगर, सेमरा कला चंदवाढ, भोपाल मध्यप्रदेश मेरा आधार कार्ड बना है. जिसमें मेरा नाम सुनीता पत्नी विजय कुमार लिखा है.

मेरा सही आधार कार्ड बना है उसमें मेरा नाम मीराबाई है एवं मेरे पैन कार्ड व वोटर कार्ड आदि में श्रीमती मीराबाई नाम लिखा है. मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मीराबाई लिखा जावे. इसी नाम से मैं जानी-पहचानी जाती हूँ.

(मीराबाई)

(G-1835)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामनारायण शर्मा आत्मज श्री नर्मदाप्रसाद शर्मा, कृषक ग्राम कुल्हार, तहसील गंजबासौदा, जिला विदिशा, मेरे दस्तावेजों एवं शासकीय/अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम रामनारायण शर्मा एवं अखिलेश कुमार शर्मा दर्ज है. इनके स्थान पर मेरे समस्त दस्तावेज एवं अभिलेखों में मेरा नाम अखिलेश भार्गव पढ़ा, लिखा एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम
(राम नारायण शर्मा)

नया नाम
(अखिलेश भार्गव)

(G-1836)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रकाश सिंह तेकाम (Prakash Singh Tekam) पिता श्री प्रहलाद सिंह तेकाम, निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर आधारताल, जिला जबलपुर मेरी सेवा पुस्तिका में मेरा नाम प्रकाश सिंह टेकाम दर्ज है. मेरे आधार कार्ड एवं पैन कार्ड में मेरा नाम प्रकाश सिंह तेकाम (Prakash Singh Tekam) दर्ज है जो कि सत्य व सही है प्रकाश सिंह टेकाम एवं प्रकाश सिंह तेकाम (Prakash Singh Tekam) ये दोनों नाम मेरे ही हैं किसी अन्य व्यक्ति के नहीं हैं मेरे शासकीय अभिलेखों में सही नाम प्रकाश सिंह तेकाम (Prakash Singh Tekam) पिता श्री प्रहलाद सिंह तेकाम के नाम से जाना-पहचाना, पढ़ा-लिखा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(प्रकाश सिंह टेकाम)
(Prakash Singh Tekam)

नया नाम
(प्रकाश सिंह तेकाम)
(Prakash Singh Tekam)

(G-1837)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तौफिक खान पिता हासम, निवासी-52, ग्रीन पार्क कॉलोनी, इंदौर मध्यप्रदेश होकर अन्य अभिलेखों में मेरा नाम रूस्तम खां पिता हासम खां त्रुटिपूर्ण दर्ज है। जबकि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम तौफिक खान पिता हासम दर्ज है। भविष्य में मुझे तौफिक खान पिता हासम के नाम से ही जाना व पहचाना जाएगा।

पुराना नाम

(रूस्तम खां)

पिता-हासम खां.

(G-1838)

नया नाम

(तौफिक खान)

पिता-हासम.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Umar, Aged 24, S/o Mohammed Rafique, R/o 35-K, Dr. Hasan Ali Marg, Khandwa, Distt. Khandwa, M.P. declare that previously I was known as Umar S/o Mohammed Rafique. Now I have changed my name as Mohammed Umar S/o Mohammed Rafique Kindly read my name as Mohammed Umar S/o Mohammed Rafique instead of Umar S/o Mohammed Rafique in my all documents.

Old Name

(UMAR)

S/o Mohammed Rafique.

(G-1839)

New Name

(MOHAMMED UMAR)

S/o Mohammed Rafique.

नाम परिवर्तन

यह कि शादी के पूर्व मेरा नाम कु. रश्मी पुत्री राम सुन्दर सिंह था जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है, विवाह पश्चात् मेरा नाम रश्मी तोमर पत्नी श्री गिरिराज सिंह तोमर हो गया था, यही नाम मेरी एलआईसी की पॉलिसी में दर्ज है, वर्तमान में मैंने अपना नाम रश्मी तोमर से बदलकर रेखा तोमर रख लिया है। जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, कु. रश्मी, रश्मी तोमर व रेखा तोमर मुझ एक ही महिला के नाम हैं, भविष्य में मुझे रेखा तोमर के नाम से पढ़ा-लिखा, समझा व मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(कु. रश्मी/रश्मी तोमर)

(G-1840)

नया नाम

(रेखा तोमर)

पत्नी-श्री गिरिराज सिंह तोमर,
पता-सरकार मैरिज गार्डन के पीछे,
आदित्यपुरम, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री अक्षरा चावला एवं मेरे पुत्र भव्य चावला के शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम पंकज चावला दर्ज है जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे-आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि में मेरा नाम पिकु चावला दर्ज है। पंकज चावला और पिकु चावला दोनों नाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं।

पुराना नाम

(पंकज चावला)

(G-1841)

नया नाम

(पिकु चावला)

पिता-प्रेमचंद,
पता-चावला हाउस, नियर दानी सदन,
खासगी बाजार, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

में, महेन्द्र राजौरिया पिता बाबूलाल राजौरिया, निवासी-वाड़ें क्र. 11, दुर्गा कॉलोनी इछावर, तहसील-इछावर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र सदैव राजौरिया Sadev Rajoriya पिता श्री महेन्द्र राजौरिया Mahendra Rajoriya मेरे पुत्र के समस्त दस्तावेजों में उसका नाम सदैव राजौरिया ही अंकित है, जो सही है, किन्तु आधार कार्ड में त्रुटिवश केशव पिता बब्लू (Kaishav S/o Babloo) अंकित हो गया है, मेरी पुत्र का सही नाम सदैव राजौरिया Sadev Rajoriya पिता श्री महेन्द्र राजौरिया Mahendra Rajoriya है।

अतः आधार कार्ड व शैक्षणिक समस्त दस्तावेज व अन्य शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में सदैव राजौरिया Sadev Rajoriya पिता श्री महेन्द्र राजौरिया Mahendra Rajoriya के नाम से लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

(केशव)

(Kaishav)

पिता-बल्लू

(Babloo)

(G-1842)

नया नाम

(सदैव राजौरिया)

(Sadev Rajoriya)

पिता-श्री महेन्द्र राजौरिया

(Mahendra Rajoriya)

PUBLIC NOTICE

U/S. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT. 1932

Notice is hereby given that the firms "MS SHRI VINAYANK ENTERPRISES & PROPERTY" of Bhopal vide Reg. No. 01-01-01-00489-13 year 2012-2013 Date of Registration 19-02-2013 undergone the following changes:-

1. That Shri Devendra Jain S/o Shri Rajmal Jain have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are mutually agreed with them w.e.f. 07-10-2017.
2. That Shri Rohan Suryavanshi S/o Shri Dilip Suryavanshi and Shri Karan Suryavanshi S/o Shri Dilip Suryavanshi have expressed his desire to join the partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them and further Shri Dilip Suryavanshi S/o Late. Shri S.N. Suryavanshi, Smt. Seema Suryavanshi W/o Shri Dilip Suryavanshi, Shri Devendra Jain S/o Shri Rajmal Jain and Shri Pradeep Suryavanshi S/o S. D. Suryavanshi in pursuance to his desire to retire from the partnership firm and principal place of business of the firm is shifted E-5/5, Arera Colony, Bhopal w.e.f. 30-03-2023.

"MS SHRI VINAYANK ENTERPRISES & PROPERTY",

(ROHAN SURYAVANSHI)

(Partner).

(G-1843)

E-5/5, Arera Colony, Bhopal.

नाम परिवर्तन

में, रूहान परयानी पिता श्री मुकेश परयानी, मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रूहान परयानी दर्ज है। चूंकि मेरा आधार कार्ड सौम्य परयानी के नाम से बना हुआ है। अतः आधार कार्ड में मेरा नाम रूहान परयानी दर्ज किया जावे।

सूचनाकर्ता

(रूहान परयानी)

कवरराम वार्ड सागर,

सागर (म.प्र.).

(G-1844)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का पूर्व नाम प्रियंका प्रजापति को परिवर्तित कर नया नाम कु. गुड़िया प्रजापति हो गया है. अतः अब मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम दर्ज था. उसके स्थान पर नया नाम कु. गुड़िया प्रजापति पढ़ा और लिखा जावे.

(विनोद प्रजापति)

पता—चंदेरी, जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(G-1845)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "STAR AGRO INDUSTRIES" जिसका पंजीयन क्रमांक 05-23-02-0112-22, पंजीयन दिनांक 28-11-2022, पता Address-Gram Devri, Thana Burhar, Tehsil-Jaitpur, Dist.-Shahdol (M.P.) Pin code 484224, कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, रीवा शहडोल संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म हैं. यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म में पूर्व में (1) Priyanka Mishra D/o Siddh Ganesh Mishra, (2) Benazeer D/o Sayed Maksood Ahmad पार्टनर थे. जिसमें दिनांक 12-08-2023 को Benazeer D/o Sayed Maksood Ahmad, aged about 33 years, Resident of Ward No. 08, Itwari Mohalla, Oil Mill, Tehsil-Sohagpur, Disst. Shahdol (M.P.) Pin code 484001 अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये. निकलने वाले साझेदारों की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. जिन्होंने आपसी सहमति से दिनांक 14-08-2023 को फर्म में नवीन पार्टनर (1) Siddh Ganesh Mishra S/o Yadunandan Ram Mishra, aged about 70 years, Resident of ward No. 10, Vikash Nagar, Kotma, Tehsil- Kotma, Distt. Anuppur (M.P.) Pin code 484334 को सम्मिलित किया गया है.

STAR AGRO INDUSTRIES,

(PRIYANKA MISHRA)

(भागीदार).

(G-1846)

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स राजेय मिनरल्स, जिसका पता मकान नं. 64, सनसिटी कालोनी, छतरपुर, जिला छतरपुर मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 06-12-01-00090-10, दिनांक 11-01-2010 एक भागीदारी फर्म है. जिसमें दिनांक 16-01-2019 फार्म क्रमांक 10 के अनुसार मेसर्स राजेय मिनरल्स में निम्नलिखित भागीदार थे. 1. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, 2. दिनेशचन्द्र अग्रवाल, 3. सूरज प्रसाद गुप्ता, 4. श्रीमती वन्दना सिंह, 5. श्रीमती अल्का सिंह, 6. देवेन्द्र सिंह परिहार, 7. प्रदीप सिंह, 8. धीरेन्द्र सिंह, 9. मोहम्मद वसीम, 10. अकील अहमद, 11. शकील अहमद, 12. देवेन्द्र शिवहरे, 13. राजेन्द्र कुमार शिवहरे आज दिनांक 01-02-2023 मेसर्स राजेय मिनरल्स के भागीदार मोहम्मद वसीम तनय मोहम्मद इसराईल द्वारा अपनी हिस्सेदारी अलग कर ली गई है एवं समस्त हिस्सेदारों द्वारा मेसर्स राजेय मिनरल्स का पता भी परिवर्तित कर लिया गया. जिस कारण मेसर्स राजेय मिनरल्स का पता व भागीदार इस प्रकार से रहेंगे. 1. श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, 2. दिनेशचन्द्र अग्रवाल, 3. सूरज प्रसाद गुप्ता, 4. श्रीमती वन्दना सिंह, 5. श्रीमती अल्का सिंह, 6. देवेन्द्र सिंह परिहार, 7. प्रदीप सिंह, 8. धीरेन्द्र सिंह, 9. अकील अहमद, 10. शकील अहमद, 11. देवेन्द्र शिवहरे, 12. राजेन्द्र कुमार शिवहरे फर्म का नया पता ख.नं. 1160, ग्राम पुरा, तहसील लवकुशनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) सो विदित हो.

वास्ते—मेसर्स राजेय मिनरल्स

(देवेन्द्र शिवहरे)

(भागीदार).

(G-1847)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स एसबीएल प्रोडक्ट्स एक पार्टनरशिप फर्म, पता-253, एम्जी रोड, देवास, मध्यप्रदेश-455001, पंजीयक क्र. 07-38-01-0097-17, दिनांक 09-02-2017 पर रजिस्टर्ड है, तब इसमें तीन पार्टनर थे जिनके नाम क्रमशः :-

1. सुरेशचंद्र चौरसिया पिता स्वर्गीय हीरालाल चौरसिया (H. U. F. KARTA)
2. अमित चौरसिया पिता श्री सुरेशचंद्र चौरसिया
3. प्रज्ञा चौरसिया पति अमित कुमार चौरसिया

फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 14-01-2022 को प्रज्ञा चौरसिया पति अमित कुमार चौरसिया फर्म से बाहर जा रहे हैं एवं उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 14-01-2022 को एक नए पार्टनर प्रशांत कुमरावत पिता नंदकिशोर कुमरावत, पता-106, साईधाम कॉलोनी, उज्जैन, मध्यप्रदेश-456010 फर्म में आ रहे हैं एवं उक्त फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 14-01-2022 एक पार्टनर सुरेशचंद्र चौरसिया पिता स्वर्गीय हीरालाल चौरसिया मृत्यु होने के कारण फर्म से बाहर हो रहे हैं.

वर्तमान में अमित चौरसिया एवं प्रशांत कुमरावत फर्म में भागीदार हैं.

मेसर्स एसबीएल प्रोडक्ट्स एक पार्टनरशिप फर्म है, जिसका पता-253, एम. जी. रोड देवास, मध्यप्रदेश-455001 है. संसोधन के उपरांत वर्तमान पता अब 208 राठौर चैम्बर जवाहर मार्ग सियागंज, इंदौर-452007 है.

फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी, देनदारी शेष नहीं है. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है.

मेसर्स एसबीएल प्रोडक्ट्स
(अमित चौरसिया & प्रशांत कुमरावत)

(भागीदार)

पता-208, राठौर चैम्बर जवाहर मार्ग,

सियागंज, इंदौर-452007.

(G-1848)

नाम परिवर्तन

मैं, अजय तागड़े पुत्र स्व. श्री बलवीर तागड़े, निवासी-43-ए, चेतक पुल के पास, एम. पी. नगर, वार्ड-48, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश ने अपना नाम परिवर्तित कर अजय तागड़े कर लिया है तथा अब भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम

(अजय बलवीर तागड़े)

(अजय सिंह)

नया नाम

(अजय तागड़े)

(G-1849)

नाम परिवर्तन

मैं, निर्मला गुप्ता पति श्री देवेन्द्र गुप्ता, सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ, मेरा विवाह पूर्व नाम निर्मला महाजन पिता गोपी किशन महाजन था. जो विवाह पश्चात् परिवर्तित होकर निर्मला गुप्ता पति देवेन्द्र गुप्ता हो गया है. अतः भविष्य में मुझे निर्मला गुप्ता से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(निर्मला महाजन)

नया नाम

(निर्मला गुप्ता)

पति-देवेन्द्र गुप्ता,

निवासी-166, महात्मा गाँधी मार्ग,

बड़वानी (म.प्र.).

(G-1850)

नाम परिवर्तन

मैं, मनीष शर्मा पिता स्व. रमेश शर्मा, सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, मेरे पुत्र का पूर्व नाम अविश शर्मा पिता मनीष शर्मा है एव स्कूल में भी यही नाम दर्ज है. जबकि वर्तमान में मेरे पुत्र को प्रणव शर्मा पिता मनीष शर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा भविष्य में भी मेरे पुत्र को इसी नाम (प्रणव शर्मा) से जाना-पहचाना एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम
(अविश शर्मा)

नया नाम
(प्रणव शर्मा)
पिता-मनीष शर्मा,
निवासी-47, राजाराम राम एवेन्यू,
तुलसी नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-1851)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी भागीदारी फर्म "SATNA AGRO OVERSEAS" पंजीयन क्रमांक 05-26-01-0079-17, पंजीयन दिनांक 15-09-2017, पता-KN 99/2/2/KH/1/2, 2 KM MILESTONE, OPP. MAA LAXMI STONE CRUSHER, TEH. RAGHURAJ NAGAR, DISTT. SATNA (M.P.) Pin code 485001 कार्यालय, फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा, शहडोल संभाग, रीवा से पंजीकृत फर्म है. फर्म के पूर्व भागीदार (1) SHRI DEEPAK KUMAR BULANI S/O LATE SHRI GURALDAS BULANI, (2) SHRI MANOJ KUMAR KRISHNANI S/O SHRI KAKKU MAL KRISHNANI पार्टनर थे. यह कि वर्तमान में इस भागीदारी फर्म की रचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए :- उक्त दिनांक 25-07-2022 को फर्म की भागीदारी से 1. Shri Deepak Kumar Bulani S/o Late Shri Guraldas Bulani अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये और निकलने वाले साझेदार की किसी भी प्रकार की लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 25-07-2022 को फर्म की भागीदारी में नवीन साझेदार 1. Shri Dinesh Khubwani S/o Shri Chandumal Khubwani, 2. Shri Tanishque Sukheja S/o Shri Sushil Sukheja, 3. Shri Vansham Sukheja S/o Shri Sushil Sukheja सम्मिलित किया गया. फर्म में वर्तमान में निम्नलिखित साझेदार भागीदार हैं.

1. Shri Dinesh Khubwani, 2. Shri Tanishque Sukheja,
3. Shri Vansham Sukheja, 4. Shri Manoj Kumar Krishnani.

FOR: SATNA AGRO OVERSEAS,
(MANOJ KUMAR KRISHNANI)
(भागीदार).

(G-1852)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम खुशबू (Khushabu) पुत्री श्री राजकुमार सिंह, निवासी-ग्राम हीरापुरा, सुनारपुरा, मेहगांव, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश.

मेरा पूर्व का नाम खुशबू (Khushabu) पुत्री श्री राजकुमार सिंह है, जिसे मैंने बदलकर खुशबू सिंह (Khushabu Singh) पुत्री श्री राजकुमार सिंह कर लिया है. अतः मुझे आज दिनांक के बाद खुशबू सिंह (Khushabu Singh) के नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

(खुशबू)
पुत्री-श्री राजकुमार सिंह.

(G-1853)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी शुजालपुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
प्रकरण क्रमांक बी-113/2023-24.

प्रारूप-पांच

[देखिए नियम-5(1)]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 5(1) व 5(2) के अंतर्गत आवेदक अध्यक्ष श्री हेमन्त कुमार सक्सेना, एडवोकेट निवासी श्रीराम मंदिर के पास शुजालपुर मण्डी, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर द्वारा म.प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-2 की उपधारा-4 से अभिप्राय के लिये न्यास संस्था का नाम श्रीनाथजी सेवा एवं जन कल्याण एवं धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास शुजालपुर मण्डी ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, जिस पर दिनांक 14-09-2023 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा।

उक्त लोक न्यास एवं चल अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के अंदर स्वयं अथवा किसी वैध प्रतिनिधी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

- | | |
|--|---|
| 1. न्यास का मुख्यालय- | श्री हेमन्त कुमार सक्सेना एडवोकेट, निवासी श्री राम मंदिर के पास शुजालपुर मण्डी, तहसील शुजालपुर जिला शाजापुर. |
| 2. न्यास का कार्यक्षेत्र- | नगर पालिका शुजालपुर |
| 3. न्यास का उद्देश्य- | मानव सेवा हितार्थ कार्य करना ही न्यास का उद्देश्य रहेगा तथा वैष्णव के पोषण हेतु धार्मिक एवं सामाजिक कल्याण हेतु कार्य करना न्यास का मुख्य उद्देश्य होगा। वैष्णवजनों हेतु उनके प्रयोग के लिए ट्रस्ट का जन कल्याण एवं सामाजिक कल्याण मानव कल्याण एवं उत्थान करना. |
| 4. न्यास आय के साधन- | किराया एवं अनुदान द्वारा आय का साधन होगा. |
| चल-अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है :- | |
| अचल संपत्ति- निरंक | |
| चल संपत्ति- निरंक | |

पेशी दिनांक 14-09-2023

(G-1854)

सत्येन्द्र सिंह, रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थायें, जिला देवास मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित आदेश क्रमांक व दिनांक से परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम, की धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक / दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, आंकारा	1506 / 14-10-2014	1153 / 11-04-2023
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, देवला	1390 / 13-01-2014	1152 / 11-04-2023
3.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, बिजलगांव	1477 / 01-09-1914	1146 / 11-04-2023
4.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, रिजगांव	1435 / 26-05-2014	1145 / 11-04-2023
5.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, कांकरिया	1385 / 06-01-2014	1142 / 11-04-2023

अतः मैं, अजय कुमार पाठक, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक, म.प्र. सहकारी सोसायटीज नियम 1962 के नियम 57(सी) के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, कि संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन दिनांक से दो माह के अंदर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास (पता- 320, ए.बी, रोड पटवर्धन पेट्रोल पम्प के पास देवास) में प्रस्तुत करे. उक्त अवधि में शेष न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में कोई सुनवाई नहीं होगी एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वमेव इस खण्ड के अधीन मुझे विधिवत प्रदान किये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि संस्था के किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास संबंधित संस्था के कोई लेखा पुस्तके, चल-अचल सम्पत्तियाँ अथवा अन्य कोई भी सामान/रिकार्ड आदि हो तो वह दो माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत कर रसीद प्राप्त करें. बादमियाद यदि किसी भी प्रकार का रिकार्ड, सामान किसी व्यक्ति के पास पाया जावेगा तो कार्यवाही के दायित्वाधीन होगा (तथा नियमानुसार संस्था/संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने के लिए उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, जिला देवास को प्रस्ताव प्रेषित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 जुलाई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-1855)

अजय कुमार पाठक, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएँ, जिला सिहोर, मध्यप्रदेश

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 सी के अंतर्गत]

उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर के आदेश क्रमांक/परि./2023/1026 दिनांक 17-07-2023 द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, दोराहा	773 / 10-09-1980	1110 / दि. 23-09-2022
2.	प्राथ. बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., साँठी	1564 / 23-09-2011	731 / दि. 04-08-2015
3.	आदर्श बीज उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, बांसिया	1586 / 19-06-2012	1192 / दि. 02-11-2022

अतः मैं, सुनील सक्सेना, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर एवं उक्त संस्थाओं का परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता है कि उक्त सहकारी संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हों तो वे इस सूचना-पत्र जारी करने के दिनांक से दो माह की समयावधि में मुझे कार्यालय पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, समयावधि पश्चात् दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकॉर्ड परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे तत्काल मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(G-1856)

सुनील सक्सेना, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

उज्जैन, दिनांक 06 जुलाई, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1953.—इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाये :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, बोरखेडी, जिला उज्जैन	DR/UJN/2155/20-08-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब देने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण तथा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला-उज्जैन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ, परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करे एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का नाम/पद
1.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था मर्यादित, बोरखेडी, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2155/20-08-2015	श्री आर. एल. परमार, (स.नि.)

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1857)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1966.-इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाये :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	शिवनिधि साख सहकारी भण्डार मर्यादित, उज्जैन, जिला उज्जैन	DR/UJN/2097/26-06-2015

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब देने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करे एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन का नाम/पद
1.	शिवनिधि साख सहकारी भण्डार मर्यादित, उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/2097/26-06-2015	श्री आर. एल. परमार, (स.नि.)

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1858)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1967.-इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाये :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	श्री महाकाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नागदा, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1526/10-08-2000

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब देने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है. संस्था द्वारा अंकेक्षण तथा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है.

अतः मैं, ओ.पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999

के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करे एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
1.	श्री महाकाल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, नागदा, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1526/10-08-2000	श्री आर. एल. परमार, (स.नि.)

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1859)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) (क/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1954.—इस कार्यालय द्वारा म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाकर निम्न संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न म.प्र. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाये :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	लोकमान्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन, जिला उज्जैन	DR/UJN/1102/26-05-1994

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब देने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि तक संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ ओर न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण तथा निर्वाचन नहीं कराये जाने से स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला-उज्जैन म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2)(क/ग) एवं म. प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा 70(1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक तत्काल संस्था का चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करे एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापक का नाम/पद
1.	लोकमान्य साख सहकारी संस्था मर्यादित, उज्जैन, जिला उज्जैन.	DR/UJN/1102/26-05-1994	श्री संतोष सांकलिया, (स.नि.)

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1860)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1962.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 576, दिनांक 25-02-2016 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बलेडी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 428, दिनांक 04-03-1977 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन ग.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1861)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1963.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1705, दिनांक 04-08-2021 द्वारा श्री गणेश बीज सहकारी संस्था मर्यादित, बंगरेड, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2180, दिनांक 20-08-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1862)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1964.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1669, दिनांक 02-08-2021 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पानवासा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 2248, दिनांक 01-10-2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत श्री बी. एस. पटेल, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1863)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2023/1965-कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1731, दिनांक 18-07-2022 द्वारा आदर्श साख सहकारी संस्था मर्यादित, नागदा, जिला-उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 894, दिनांक 10-04-1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत श्री वीरधवल जडे, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा लेनदारी एवं देनदारी संबंधी संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला उज्जैन म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल दिनांक 26-07-1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 06 जुलाई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-1864)

ओ. पी. गुप्ता, उप आयुक्त.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा बैजनाथ, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1206 तथा दिनांक 31-11-2002 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा बैजनाथ, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा बैजनाथ, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1206 तथा दिनांक 31-11-2002 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा बैजनाथ, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1206 तथा दिनांक 31-11-2002 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

(G-1865)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1839 तथा दिनांक 28-04-2016 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1839 तथा दिनांक 28-04-2016 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1839 तथा दिनांक 28-04-2016 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

(G-1866)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1249 तथा दिनांक 27-01-2003 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैंथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1249 तथा दिनांक 27-01-2003 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1249 तथा दिनांक 27-01-2003 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

(G-1867)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमलामज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 774 तथा दिनांक 18-02-1980 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमलामज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैंथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमलामज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 774 तथा दिनांक 18-02-1980 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमलामज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 774 तथा दिनांक 18-02-1980 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

(G-1868)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाली, तहसील भैरूदा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1852 तथा दिनांक 03-01-2017 है संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाली, तहसील भैरूदा, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाली, तहसील भैरूदा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1852 तथा दिनांक 03-01-2017 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाली, तहसील भैरूदा, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1852 तथा दिनांक 03-01-2017 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया.

(G-1869)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो.

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आंवलीखेड़ा, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1753 तथा दिनांक 24-02-2014 है. संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है. अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आंवलीखेड़ा, तहसील व जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया. अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आंवलीखेड़ा, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1753 तथा दिनांक 24-02-2014 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आंवलीखेड़ा, तहसील व जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1753 तथा दिनांक 24-02-2014 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ. यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें.

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया.

(G-1870)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रसूलपुरा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1518 तथा दिनांक 26-10-2010 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रसूलपुरा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रसूलपुरा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1518 तथा दिनांक 26-10-2010 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रसूलपुरा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1518 तथा दिनांक 26-10-2010 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

(G-1871)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सालीखेड़ा तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1780 तथा दिनांक 14-07-2014 है। संस्था प्रशासक द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप एवं पंजीकृत डाक के माध्यम से पत्र प्रेषित कर संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था से कोई प्रति उत्तर एवं रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तथा संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सालीखेड़ा तहसील इछावर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न कराकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सालीखेड़ा तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1780 तथा दिनांक 14-07-2014 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सालीखेड़ा तहसील इछावर, जिला सीहोर का पंजीयन क्रं. 1780 तथा दिनांक 14-07-2014 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ, यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना-पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17 अगस्त 2023 को जारी किया गया।

(G-1872)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 10 जुलाई 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 एवं 72 के अंतर्गत]

क्र./परि./2023/1079.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2018/372, नीमच, दिनांक 31-03-2018 के द्वारा परिसमापित श्री राम बीज उत्पादक सहकारी भण्डार मर्या., कराडिया महाराज, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक 225, दिनांक 09-01-2015 का परिसमापन किये जाने हेतु श्री एन. के. नान्देचा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया था. सोसायटी के परिसमापक के द्वारा सोसायटी के अस्तियों एवं दायित्वों के निपटारा करने के पश्चात् निरंक स्थिति विवरण पत्रक एवं अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 03-05-2023 को प्रस्तुत कर सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सोसायटी के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन एवं सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने की अनुशंसा के आधार पर सोसायटी का रद्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना कमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26-07-1999 के द्वारा रजिस्ट्रीकरण सहकारी सोसायटी मध्यप्रदेश, भोपाल की उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ नीमच के प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 एवं 72 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापित श्री राम बीज उत्पादक सहकारी भण्डार मर्यादित, कराडिया महाराज, जिला नीमच, पंजीयन क्रमांक 225 दिनांक 09-01-2015 का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए निगमित निकाय को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 10 जुलाई 2023 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1873)

संजय सिंह आर्य, सहायक पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2023—भाद्र 31, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)